भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 571

जिसका उत्तर मंगलवार 19 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है

एफएएमई (फेम) इंडिया योजना

571. श्री जॉर्ज बेकर:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एफएएमई इंडिया योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत, आवंटित एवं उपयोग की गई धनराशि का पश्चिम बंगाल सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत अब तक निर्धारित लक्ष्य एवं हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हासिल की गई उपलब्धियां निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप हैं तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार इस योजना को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (घ): भारी उद्योग विभाग ने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी लाने की दृष्टि से परिवहन में हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 के भाग के रूप में एक स्कीम नामतः फेम-इंडिया [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण] तैयार की है। संपूर्ण योजना को 2020 तक 6 वर्ष की अवधि में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया गया था, जिसमें इस निर्धारित अवधि के अंत तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए इसके द्वारा हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहन बाजार विकास तथा इसके विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को सहायता देना अभिप्रेत है।

सरकार ने इस स्कीम को ₹795 करोड़ के परिव्यय के साथ 01 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2017 तक की 2 वर्ष की अवधि के लिए एक प्रायोगिक स्कीम के रूप में शुरू करने का निर्णय लिया है।

उच्च घनत्व वाले शहरी केन्द्रों में सड़क परिवहन में पर्यावरण-प्रदूषण एवं जीवाश्म ईंधन के प्रयोग के उच्च स्तर को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम के चरण-I को निम्नलिखित क्षेत्रों तक सीमित रखा गया है:

क. "स्मार्ट सिटीज" पहल के अंतर्गत आने वाले नगरों तक।

ख. प्रमुख बड़े शहरों - दिल्ली एनसीआर, बृहद् मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद तक।

ग. सभी राज्यों की राजधानियों और 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) वाले अन्य शहरों तक।

घ. पूर्वोत्तर राज्यों के नगरों तक।

तथापि, दिनांक 30.09.2015 की भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना का.आ. 2696(ई) के द्वारा सभी प्रकार के दुपहिया और तिपहिया इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों के लिए यह स्कीम इनकी भारत में कहीं भी बिक्री के लिए लागू की गई थी।

मूल स्कीम के अनुसार, माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रांग हाइब्रिड, प्लग-इन हाइब्रिड और प्योर इलेक्ट्रिक प्रौद्योगिकियों (सामूहिक रूप से एक्सईवी के रूप में प्रसिद्ध) को फेम इंडिया स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया था। तथापि, "माइल्ड हाइब्रिड" प्रौद्योगिकी को दिनांक 30.03.2017 की राजपत्र अधिसूचना का.आ. 1055(ई) के द्वारा दिनांक 01.04.2017 से इस स्कीम के दायरे से बाहर कर दिया गया है।

इस स्कीम के चार फोकस क्षेत्र अर्थात् प्रौद्योगिकी विकास, मांग सृजन, प्रायोगिक परियोजना और चार्जिंग अवसंरचना हैं।

मांग प्रोत्साहनों के माध्यम से बाजार सृजन का उद्देश्य सभी वाहन सेगमेन्ट्स अर्थात् दुपहिया, तिपहिया ऑटो, यात्री चौपहिया वाहनों, हल्के वाणिज्यिक वाहनों और बसों को प्रोत्साहन देना है। तथापि, यह स्कीम लोगों के लिए वहनीय एवं पर्यावरणानुकूल जन एवं निजी परिवहन/वाहन गतिशीलता प्रदान करने पर अधिक बल देती है। व्यापक स्वीकार्यता की दृष्टि से क्रेताओं (अंतिम प्रयोगकर्ताओं/उपभोक्ताओं) को मांग प्रोत्साहन भुगतान से पूर्व घटाए गए क्रयमूल्य के रूप में उपलब्ध हैं। इस विभाग में पंजीकृत एवं उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस स्कीम के माध्यम से 30 नवंबर, 2017 तक ₹203 करोड़ (लगभग) के कुल मांग प्रोत्साहन से 163997 एक्सईवी को सहायता दी गई है।

इस स्कीम के विभिन्न फोकस क्षेत्रों के अंतर्गत अनुदान प्रदान करने के लिए सचिव (भारी उद्योग) की अध्यक्षता में परियोजना कार्यान्वयन एवं स्वीकृति समिति (पीआईएससी) द्वारा प्रायोगिक परियोजनाओं के अधीन विशिष्ट परियोजनाओं, अनुसंधान एवं विकास/प्रौद्योगिकी विकास एवं आम चार्जिंग अवसंरचना संघटकों को अनुमोदित किया जाता है।

इस स्कीम के तहत आबंटित और उपयोग में लाई गई निधि का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**आबंटित निधि**	**उपयोग में लाई गई निधि**
1	2015-16	₹75.00 करोड़	₹75.00 करोड़
2	2016-17	₹144.00 करोड़	₹144.00 करोड़
3	2017-18	₹175.00 करोड़	₹105.49 करोड़ **(30 नवंबर, 2017 तक)**
योग		**₹394.00 करोड़**	**₹324.49 करोड़**

तथापि, इस स्कीम के तहत राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार आबंटन नहीं किया जाता है और इस स्कीम के तहत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए।

(ङ) और (च): फेम इंडिया स्कीम का चरण-I, जो मूलतः 01 अप्रैल, 2015 से शुरू होकर दो वर्षों की अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2015-16 और वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए था, कार्यान्वयनाधीन है और इसे अब 31 मार्च, 2018 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

******